

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद  
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्या: 21/2018

दायर दिनांक: 18.07.2018

निर्णय दिनांक 12.12.2025

—: अनवान :-

1. हीरालाल पिता शंकरलाल, जाति गुर्जर, आयु वयस्क
2. हिम्मतलाल पिता शंकरलाल, जाति गुर्जर, आयु वयस्क
3. हंजाबाई बेवा शंकरलाल, जाति गुर्जर, आयु वयस्क  
सभी निवासी पीपरड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलान्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द

— रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण आदेश संख्या 1453 दिनांक 29.01.1993 द्वारा पारित तहसीलदार साहब राजसमन्द से व्यथित होकर अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री अनिल बागोरा अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट

—: निर्णय :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1453 दिनांक 29.01.1993 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पीपरड़ा, पटवार हल्का पीपरड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द में वर्तमान आराजी नम्बर 3534/7 रकबा 5 विस्वा एवं आराजी नम्बर 1835/4 रकबा 4 विस्वा किस्म बाड़ा भूमि के रूप में स्थित है। उक्त भूमि के संबंध में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1453 के जरिये उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश जारी किये गये हैं जो न केवल अवैध व विधि विरुद्ध है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा



feh

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किये बिना ही मनमकसूद तरीके से आलौच्य आदेश पारित किया है जो विधि के विपरीत है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुने बगैर ही मनमकसूद तरीके से यह आदेश पारित किया है जो न केवल विधि के विपरीत है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि उक्त भूमि अपीलार्थी को आवंटित भूमि थी। आवंटी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगैर उक्त भूमि को आवंटी के स्थान पर बिलानाम दर्ज करने का पारित किया गया आदेश विधि के विपरीत है। उक्त भूमि तहसीलदार राजसमन्द द्वारा दिनांक 15.12.1982 को राजस्थान भू राजस्व संग्रह स्थल के लिये भूमि आवंटन नियम 1961 के प्रावधानों के तहत आवंटित की गई थी जो राजस्व ग्राम पीपरडा के आराजी नम्बर 3534/7 रकबा 5 विस्वा एवं आराजी नम्बर 1835/4 रकबा 4 विस्वा भूमि किस्म बाड़े के रूप में आवंटित कर पट्टा जारी किया गया है तथा भूमि आवंटन कर आवंटितशुदा भूमि का कब्जा आधिपत्य सुपुर्द किया गया तब से लेकर आवंटी/अपीलान्त उक्त बाड़े का नियमित निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त पट्टे को एवं आवंटन को किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा निरस्त नहीं किया गया है न ही निरस्ती की कोई कार्यवाही अपीलार्थी/आवंटी के विरुद्ध अमल में लाई गई है। उक्त आराजी नम्बर 3534/7 रकबा 5 विस्वा एवं आराजी नम्बर 1835/4 रकबा 4 विस्वा का कानूनी रूप से स्वामित्व आधिपत्य आवंटी/अपीलान्त का है तथा विपक्षी द्वारा कभी भी अपीलार्थी/आवंटी को बेदखल नहीं किया है न ही बेदखली की कोई कार्यवाही की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/आवंटी का कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जारी परिपत्र कमांक राजस्व/परिपत्र/92/2935-53 दिनांक 05.12.1992 के आधार पर गलत रूप से नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। उक्त परिपत्र से अपीलार्थी/आवंटी को आवंटनशुदा बाड़ा निरस्त नहीं किया गया था। इस परिपत्र का भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत आशय लगाकर उक्त प्रकार का निर्णय पारित किया गया है जो एक वैधानिक त्रुटि की है। कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जारी उक्त परिपत्र से यह आदेशित था कि उक्त प्रकार के आवंटनशुदा बाड़ों के कतिपय मामलों में राजस्व अभिलेखों में आवंटी के नाम यदि खातेदारी/गैर खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं तो ऐसा अंकन नियमों के सर्वथा विपरीत है। बाड़े की भूमियों का लगान निर्धारित नहीं होकर यह भूमि गैर मुमकिन श्रेणी की होती है तथा उस पर किसी प्रकार के खातेदारी/गैर खातेदारी अधिकार देय नहीं होते हैं। अब तक राजस्व अभिलेख में जितने भी आवंटित बाड़ों का खातेदारी/गैर खातेदारी हक से अंकन किया गया हो उनके लिये तत्काल प्रभाव से खातेदारी/गैर खातेदारी हक निरस्त कर दिया जावे। कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जारी परिपत्र में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि ऐसे आवंटी को अतिक्रमी मानते हुए उन्हें आवंटनशुदा पट्टा भूमि से बेदखल कर दिया जावे।



*ofh*

अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जारी परिपत्र का गलत आशय लगाकर मनमकसूद तरीके से राजनैतिक दबाव में आकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये और अपीलार्थी/आवंटी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना पारित निर्णय की समुचित न्यायालय में अपील करने का समय दिये बिना उक्त प्रकार का निर्णय पारित कर वैधानिक त्रुटि की है। उक्त पारित आदेश न केवल विधि विरुद्ध है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलार्थी/आवंटी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगैर ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो विधि के विपरीत है। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरण विधि के विपरीत होकर आलोच्य आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। राजस्थान भू राजस्व संग्रह स्थल के लिये भूमि आवंटन नियम 1961 के साथ गठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 98 के प्रावधानों के अन्तर्गत संग्रह स्थल/बाड़े के लिये निःशुल्क आवंटन किया गया था, इसी आवंटन आदेश के आधार पर अपीलार्थी को भूमि का कब्जा आधिपत्य संपुर्ण किया गया। राज्य सरकार द्वारा राजस्व गुप 6 परिपत्र क्रमांक प.9 (6) राज-6/2000/01/दिनांक 11.01.2008 को जारी निर्देश अनुसार इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9 (6) राज-6/2000/02/दिनांक 30.01.2006 के द्वारा अधिसूचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.01.1995 से पूर्व आवास गृह एवं जानवरों के बाड़े बनाकर किये गये अतिक्रमण को नियमन करने के निर्देश जारी किये थे जिसकी अवधि को दिनांक 01.01.1995 से बढ़ाकर दिनांक 01.01.2008 तक नियमन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ऐसी स्थिति में आलोच्य पारित किया गया आदेश न केवल विधि के विपरीत है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं। दिनांक 05.07.2018 को उक्त भूमि के संबंध में राजस्व रेकॉर्ड निकालने पर यह जानकारी में आया कि उक्त आवंटित भूमि राजस्व रेकॉर्ड में आवंटी के नाम से हटाकर बिलानाम दर्ज कर दी गयी है। उक्त आदेश वैसे भी तहसीलदार, राजसमन्द के क्षेत्राधिकार से परे होकर प्रारम्भ से ही अवैध है जिसको चुनौती देने के लिए कोई मियाद नहीं है। मामला जायदाद से संबंधित होकर अपीलार्थी के वैध हक अधिकार प्रभावित होते हैं गुणावगुण पर भी अच्छा मामला है। जानकारी होते ही उक्त अपील पेश की जा रही है जो जानकारी से अंदर मियाद है फिर भी मियाद माफी के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 29.01.1993 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में अपीलार्थी के नाम पर अंकित कराने का आदेश फरमाया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति।



*deh*

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। सर्व प्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पीपरडा, पटवार हल्का पीपरडा, तहसील व जिला राजसमन्द में वर्तमान आराजी नम्बर 3534/7 रकबा 5 विस्वा एवं आराजी नम्बर 1835/4 रकबा 4 विस्वा किस्म बाड़ा भूमि के रूप में स्थित है। उक्त भूमि के संबंध में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1453 के जरिये उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश जारी किये गये हैं जो न केवल अवैध व विधि विरुद्ध है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, उक्त भूमि तहसीलदार राजसमन्द द्वारा दिनांक 15.12.1982 को राजस्थान भू राजस्व संग्रह स्थल के लिये भूमि आवंटन नियम 1961 के प्रावधानों के तहत आवंटित की गई थी जो राजस्व ग्राम पीपरडा के आराजी नम्बर 3534/7 रकबा 5 विस्वा एवं आराजी नम्बर 1835/4 रकबा 4 विस्वा भूमि किस्म बाड़े के रूप में आवंटित कर पट्टा जारी किया गया है तथा भूमि आवंटन कर आवंटितशुदा भूमि का कब्जा आधिपत्य सुपुर्द किया गया तब से लेकर आवंटी/अपीलान्ट उक्त बाड़े का नियमित निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त पट्टे को एवं आवंटन को किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा निरस्त नहीं किया गया है न ही निरस्ती की कोई कार्यवाही अपीलार्थी/आवंटी के विरुद्ध अमल में लाई गई है। उक्त आराजी नम्बर 3534/7 रकबा 5 विस्वा एवं आराजी नम्बर 1835/4 रकबा 4 विस्वा का कानूनी रूप से स्वामित्व आधिपत्य आवंटी/अपीलांट का है तथा विपक्षी द्वारा कभी भी अपीलार्थी/आवंटी को बेदखल नहीं किया है न ही बेदखली की कोई कार्यवाही की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/आवंटी का कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जारी परिपत्र कमांक राजस्व/परिपत्र/92/2935-53 दिनांक 05.12.1992 के आधार पर गलत रूप से नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। उक्त परिपत्र से अपीलार्थी/आवंटी को आवंटनशुदा बाड़ा निरस्त नहीं किया गया था। इस परिपत्र का भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत आशय लगाकर उक्त प्रकार का निर्णय पारित किया गया है जो एक वैधानिक त्रुटि की है। राज्य सरकार द्वारा राजस्व ग्रुप 6 परिपत्र कमांक प.9 (6) राज-6/2000/01/दिनांक 11.01.2008 को जारी निर्देश अनुसार इस विभाग के परिपत्र कमांक प.9 (6) राज-6/2000/02/दिनांक 30.01.2006 के द्वारा अधिसूचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.01.1995 से पूर्व आवास गृह एवं जानवरों के बाड़े बनाकर किये गये अतिक्रमण को नियमन करने के निर्देश जारी किये थे जिसकी अवधि को दिनांक 01.01.1995 से बढ़ाकर दिनांक



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

01.01.2008 तक नियमन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ऐसी स्थिति में आलोच्य पारित किया गया आदेश न केवल विधि के विपरीत है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 29.01.1993 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम पर अंकित कराने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हमने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1453 दिनांक 29.01.1993 का अवलोकन किया। इस नामान्तरण के अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि इसमें उल्लेखित भूमि पर किसी भी प्रकार का लगान निर्धारित नहीं है जिस भूमि पर लगान निर्धारित नहीं होता है वह भूमि गैर खातेदारी अथवा खातेदारी की होना नहीं माना जा सकता है क्योंकि जो भी खातेदार है या वो गैर खातेदार है उसको लगान का भुगतान करना होता है और उसके लगान का हिसाब रखने के लिए ही राज्य सरकार द्वारा खाता रखा जाता है तथा काश्तकार को खातेदार अथवा गैर खातेदार की संज्ञा में रखा जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह नामान्तरण इसीलिए खोला है कि राजस्व रेकार्ड में बाडा के आवंटी श्री शंकर लाल जो कि अपीलांट के पूर्वाधिकारी थे, के नाम उक्त बाडा आवंटन किया गया था और इनको गैर खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया। राज्य सरकार का यह स्पष्ट निर्देश है कि गैर मुमकिन भूमि पर जो बाडा आवंटित किया जाता है उसको खातेदारी में अथवा गैर खातेदारी में दर्ज नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के आदेशों की पालना में ही जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा आदेश दिनांक 05.12.1992 जारी किया गया था और उस आदेश की पालना में तहसीलदार राजसमन्द ने जो राजस्व रेकार्ड में एक त्रुटि थी। उस त्रुटि को सुधारने के लिए यह विवादित नामान्तरकरण दाखिल किया गया था। जिसमें मैं किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती नहीं पाता हूँ। तहसीलदार द्वारा जो अपीलांट के पूर्वाधिकारी को बाडे का आवंटन आदेश दिया गया था। उसको कही निरस्त किया गया हो ऐसा कोई प्रमाण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः तहसीलदार द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है वो विधि सम्मत होकर राज्य सरकार के आदेशों की पालना में की गई है इस अपील में भी अपीलांट द्वारा इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि उन्हें बाडा ही आवंटन हुआ था। कोई भी भूमि खातेदारी/गैर खातेदारी के आधार पर आवंटन नहीं हुई थी। अतः




deh

अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा स्वयं भी विवादित नामान्तरकरण में उन्हें जो गैर खातेदार लिखा गया है उसे गलत माना है। क्योंकि स्वयं को वो बाड़े का आवंटी मानते हैं। तो यहाँ पर अपीलांट के किसी भी अधिकारो का हनन नहीं हुआ है और तहसीलदार द्वारा राजस्व रेकार्ड में जो प्रविष्टि की गई है। वह नियमानुसार प्रविष्टि की गई है। इसलिए अपील अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**:: आदेश ::**

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार राजसमन्द द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1453 दिनांक 29.01.1993 को यथावत रखा जाता है।



(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 12.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।





(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद